

डिजिटल न्याय व्यवस्था को मिलेगी नई गति, डाला प्रकाश

नईदुनिया(वि.) दुर्ग: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीक आधारित न्याय वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति एवं आइसीजेएस विषय पर जिला स्तरीय संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ कंप्यूटराइजेशन समिति के अध्यक्ष एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कोसले के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल तकनीक के महत्व और नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कामिनी जायसवाल ने मीडिएशन 3.0 पर प्रस्तुति देते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की उपयोगिता, वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की संभावनाओं को सरल उदाहरणों के

माध्यम से समझाया। वहीं वरिष्ठ श्रेणी के व्यवहार न्यायाधीश रवि महोबिया ने न्याय श्रुति एवं आइसीजेएस की तकनीकी जानकारी दी तथा लाइव डेमो के जरिए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्रबंधन और डिजिटल अभिलेखों की कार्यप्रणाली से प्रतिभागियों को अवगत कराया। मुख्य अतिथि एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उत्तरदायी उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने मीडिएशन 3.0 को न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण और न्यायिक दक्षता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इसे व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों, शासकीय अधिवक्ताओं तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में 'मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति व आईसीजेएस पर व्यापक संयुक्त कार्यशाला डिजिटल तकनीकों की भूमिका, प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, न्यायालयों में प्रौद्योगिकी आधारित कार्य-संस्कृति की जानकारी दी

स्ट्रीटरीपोर्टर/दुर्ग

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'नए आपराधिक कानूनों के जरिए डिजिटल न्याय को मजबूत करना' में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग द्वारा नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीक-संचालित न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति और आईसीजेएस विषय पर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय संयुक्त



संयुक्त कार्यशाला के दौरान मध्यस्थता और डिजिटल न्याय पर चर्चा हुई।

कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राज्य में न्यायिक नवाचार, संस्थागत उत्कृष्टता और प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक सुधारों को निरंतर प्रोत्साहित करने वाले न्यायमूर्ति पीपी साहू के मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सतत प्रेरणा ने इस पहल को नई दिशा प्रदान की है। न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं न्यायिक प्रणाली की

कार्यशक्ति न्यायिक कर्मचारियों को मीडिएशन 3.0, न्याय श्रुति एवं आईसीजेएस के व्यावहारिक एवं तकनीकी पक्षों से अवगत कराने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा इस संस्थागत पहल की परिकल्पना की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ कंप्यूटराईजेशन समिति के अध्यक्ष तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश

दीपक कोसले के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने कार्यशाला की विषय-वस्तु, उद्देश्य एवं उपयोगिता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए नवीन आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में डिजिटल तकनीकों की भूमिका, न्यायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा न्यायालयों में प्रौद्योगिकी आधारित कार्य-संस्कृति के महत्व पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

इसके बाद व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कामिनी जायसवाल ने 'मीडिएशन 3.0' विषय पर अत्यंत प्रभावशाली एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी। व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ रवि महोबिया ने भी तकनीकी जानकारी प्रदान की।

मुख्य अतिथि के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपने मार्गदर्शन-परक उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में न्यायिक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का प्रभावी और उत्तरदायी उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे मीडिएशन 3.0 को केवल एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में न देखें, बल्कि न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण, मानवीय संवेदनशीलता, संतुलित व्यवहार एवं न्यायिक दक्षता को बढ़ाने वाले प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाएं।